



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 854) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 150, दिनांक 22 जुलाई 2026—औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 43 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम, सभी श्रम अधीक्षक, सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी उप श्रमायुक्त, सभी संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, बिहार को संसाधन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025-144/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 151, एस० ओ० 150 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025-145/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 150, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 43 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint All Labour Superintendent (Act), All Labour Superintendent, All Assistant Labour Commissioner, All Deputy Labour commissioner, All Joint Labour commissioner, Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Bihar as Conciliation Officers.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/IRC-10-03/2025-144/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

Upendra Prasad,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 854-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>